राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : AO(R)317 दिनांक : 29/11/2017

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक– प.3(1201)3/2012 जयपुर दिनांक–9.3.2017, 24.5.2017 एवं 13.7.2017 के अनुसरण में मण्डल स्तर से कार्यालय आदेश क्रमांक–वसूली/2016–17/71/18 दिनांक–18.4.2017, वसूली/2017–18/71/197 दिनांक–17.7.2017 एवं वसूली/2017–18/71/228 दिनांक–14.8.2017 द्वारा प्रसारित उक्त आज्ञा की अक्षरशः अनुपालना की दृष्टि से पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मण्डल द्वारा दिनांक 1.1.2001 के पश्चात् आवंटित EWS/LIG के आवासों में मासिक किश्तें एवं अन्य बकाया राशि दिनांक 31.12.2017 तक एकमुश्त जमा कराई जाने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट देय होगी।

आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर आवासन मण्डल द्वारा कब्जा लिया जाकर नीलामी के जरिये निस्तारण किया जायेगा।

यह आदेश पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक–निस/विस/2017/311 दिनांक 27.11.2017 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

(डॉ. कुंज बिहारी गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, उप सचिव, निदेशक विधि, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. लागत शाखा, भुगतान शाखा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. सम्बन्धित/रक्षित पत्रावली।

(आरती बागोटिया)
वित्तीय सलाहकार

Pl. send through email to all concerned.
30.11.17
FSFA

DD (Computer)